क शिक्षा परिषद्
ी.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
र्ग, जयपुर।

rajssaquality@gmail.com
फैक्स–0141–2701822 फोन–0141–2705937

क्रमांक : राप्राशिप/गुणवत्ता/उत्कृष्ट वि.च.यो./2015–16/25124 दिनांक : 20/10/15

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक एवं
जिला परियोजना समन्वयक
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

संशोधित दिशानिर्देश

विषय : नवाचारी गतिविधि ''उत्कृष्ट विद्यालय चयन योजना'' के संदर्भ में परिवर्धित एवं अद्यतन दिशा निर्देश बाबत।
संदर्भ : परिषद् का पत्र.क्रमांक 23795 दिनांक 10.09.2015

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि राज्य सरकार द्वारा नवाचारी गतिविधि ''उत्कृष्ट विद्यालय चयन योजना'' समस्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इस सत्र से शुरू करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में आपको उक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 23795 दिनांक 10.09.2015 को विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे। इन दिशा निर्देशों की टाइम लाइन एवं चयन प्रक्रिया में आंशिक परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन पश्चात विस्तृत दिशा निर्देश इस प्रकार है –

**विद्यालयों के चयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश –**

राजस्थान सरकार के नेतृत्व में सर्व शिक्षा अभियान द्वारा विगत कई वर्षों से प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार हेतु अनेक योजनाएँ/कार्य आरम्भ किये गये। इन कार्यक्रमों में क्वालिटी एश्योरेन्स प्रोग्राम (अन्तर्गत विद्यालयों को ग्रेड देना) सम्बलन, रीडिंग केम्पेन एवं शिक्षक मूल्यांकन कार्यक्रम प्रमुख हैं। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों ने भौतिक संसाधनों के क्षेत्र में तो पर्याप्त प्रगति की ही है, गुणवत्ता के सम्बन्ध में बच्चों के शैक्षिक स्तर में भी उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। इसके बावजूद समूचे समुदाय में राजकीय विद्यालयों के प्रति बहुत सकारात्मक धारणा नहीं है। जबकि आज भी हमारे सिस्टम में ऐसे सैंकड़ों उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ विद्यालय हैं जो सुर्खियों में रहने की अभिलाषा लिये बिना लगातार अपना कार्य सफलतापूर्वक करते रहे हैं। ऐसे विद्यालयों के समक्ष भी सामान्य विद्यालयों की तरह अनेक समस्याएँ एवं चुनौतियाँ रही हैं, तो भी इन विद्यालयों द्वारा श्रेष्ठ नेतृत्वशीलता, स्टाफ के सहयोग एवं समर्पण, दृढ इच्छा शक्ति एवं समुदाय के सहयोग द्वारा समस्याओं से जूझते एवं निपटते हुए निरन्तर गुणवत्ता सम्बन्धित सफलताएँ अर्जित की हैं। आज ऐसे विद्यालयों को एक मंच दिये जाने की आवश्यकता है ताकि न केवल इनके द्वारा किये जा रहे श्रेष्ठ कार्यों का सम्मान हो अपितु अन्य अनेक समीपस्थ विद्यालयों के शिक्षको एवं सस्था प्रधानों को भी अभिप्रेरणा एवं नजीर (दृष्टान्त) मिल सके।

उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यालयों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध करने की मंशा से **'उत्कृष्ट विद्यालय चयन योजना'** आरम्भ की गई है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न लिखित हैं–

1. दूर दराज के क्षेत्रों में सहित समस्त राजस्थान श्रेष्ठ कार्य कर रहे प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पहचान करना।
2. उत्कृष्ट कार्य कर सफलता अर्जित करने वाले शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों को उनके समर्पण भाव के लिए पुरस्कृत करना।
3. सक्षम स्तर द्वारा उचित मंच पर चिह्नित विद्यालयों के संस्था प्रधानो को अभिशंषा प्रमाण पत्र देना।
4. उत्कृष्ट विद्यालयों की कार्यशैली का दस्तावेजीकरण एवं डाक्यूमेन्ट्री (ऑडियो विज्यूअल) तैयार करना।
5. संकलित दस्तावजों एवं डाक्यूमेन्ट्री को राज्य के शिक्षकों को प्रशिक्षणों में प्रेरित करने के उद्देश्य से शामिल करना।